राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/नर्स–2/(सीधी भर्ती 2013)/आर–55/2017/448 दिनांकः 12.9.17

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा अवमानना याचिका संख्या 1153/2017 अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15891/2016 राजकुमारी बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2017 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 08.03.2017 को भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12008/2015 श्रीमती मुकेश कुमारी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2016 के अनुरूप निर्णित किया है जिसकी पालना में याचिकाकर्ता राजकुमारी पुत्री श्री अमरसिंह पत्नि श्री बिजेन्द्र सिंह को उक्त निर्णय दिनांक 23.02.2017 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध माननीय खण्डपीठ में दायर अपील के निर्णय के अध्यधीन उनके जातिवर्ग में वरियता के आधार पर नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर चयन कर पे–बैण्ड 9300–34800 ग्रेड–पे 4200 में कार्यग्रहण करने की तिथी से नियुक्ति प्रदान की प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन पदस्थापित किया जाता है :–

S. NO.	Appl No.	Applicant Name	Father's Name	Date of Birth	Gender	Category	Other Special Categories	Applicable 85 %	Bonus Marks as per Verified Exp.	Total	Place of Posting Under CMHO
1	6020026079	Rajkumari	Amar Singh	1-Jan-1982	Female	S.C.	NA , NA	60.312	0	60.312	Jaisalmer

चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष के प्रोबेशन काल में वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–एफ 14(1)/एफडी (रूल्स)/2013–Pt दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 14660/– प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण करने पर इन्हें नर्स श्रेणी द्वितीय के पद की नियमित पे– बैण्ड में ग्रेड–पे देय होगी।

यह पदस्थापन सूची रिट संख्या 235/2016 द्वारा श्री रनधीर सिंह डागुर एवं श्री विनय प्रकाश तिवाडी व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 29.01.2016 के अध्यधीन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवम् माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर व अन्य माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

संलग्न पदस्थापन सूची निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी की जा रही है:–

1 उपरोक्त अभ्यर्थिया को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश कमांक नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/2015/390 दिनॉक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, (प्रति पुनः संलग्न हैं) में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/ 2015/391 दिनॉक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति बाबत पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।

2 परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

3 वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारी पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

4 उपरोक्त अभ्यर्थिया की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि का जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित किया जाना है।

5 दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।

6 अभ्यर्थिया द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है। अभ्यर्थी प्रथमतः अपनी उपस्थिति मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी जैसलमेर के कार्यालय में देगें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंषा के उपरांत संबंधित जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित अधिकारी के अधीन अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करेगें।

7 अभ्यर्थिया को कार्यग्रहण कराते समय उक्त समिति के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, आरएनसी मे 02.04.13 तक पंजीयन एवं कार्यग्रहण करने की तिथि तक नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे। सभी छाया प्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करनी होगी। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल ज्यूरिष्ठ/मु.चि.एवं स्वा.अधि.) एवं सबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।

8 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।

9 अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापन जिस संस्थान में किया गया है उस संस्थान के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त कर जारी करने वाली संबंधित संस्था से सत्यापन करेंगे। सत्यापन होने एवं सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को उनके मूल दस्तावेज लोटाये जायेंगे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नही किये जायेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करे।

10 यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।

11 राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प. 6(19) गृह–13/2006 दिनारंक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12 नवचयनित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धुमपान अथवा नशा नहीं किया जावेगा।

13 अभ्यर्थी को चयन में अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये हैं, उन्हें विज्ञप्ति में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधीकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल अनुभव प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा।

14 ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अन्य राज्यों में एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया गया है इन अभ्यर्थियों का आवेदन करने की अन्तिम तिथि 02.04.2013 को राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन एवं कार्य ग्रहण तिथि को पंजीयन नवीनीकृत होना अनिवार्य है।

15 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर द्वारा उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थी के पदस्थापन आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् जारी किये जावेंगे।

16 अभ्यर्थी के पुलिस चरित्र सत्यापन के संबंध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

17 इस आदेश की पालना में कार्यग्रहण किये जाने की अंतिम तिथि 03.10.2017 निर्धारित है। निर्धारित तिथि पश्चात आदेश स्वतः ही निरस्त समझें जावेगें।

–sd–
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः नर्सिग/नर्स–2/(सीधी भर्ती 2013)/आर–55/2017/448 दिनांकः 12.9.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2 निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।

3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।

4 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5 जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर राजस्थान।

6 अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

7 संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।

8 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।

9 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।

10 10 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को प्रेषित कर लेख हैं कि निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनाँक 18.09.2015 की पालना में तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर से प्रतिनिधि मनोनीत करवाऐं तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 391 दिनाँक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थी का आपके जिले में ब्लॉक स्तर पर चयनित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्राथमिकता से पदस्थापन किया जावें :—

(i) अभ्यर्थिया का जिस जाति वर्ग(ओबीसी/एसबीसी/एससी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी/सहरिया) में चयन हुआ हैं उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैद्य मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।

(ii) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छायाप्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावे।

(iv) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्यधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने एवम् सही पाये जाने के पश्चात ही प्रार्थी को मूल दस्तावेज लौटावें।

(v) अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत् संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र 10/– रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत कराना होगा।

(vi) अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत कराना होगा।

(vii) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नही करावें।

(viii) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

(ix) आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थिया के संबंधित मूल आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजो आदि को प्राप्त करने हेतु विशेष वाहक को निदेशालय में तत्काल भिजवावे।

11 संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय एवं केस प्रभारी अधिकारी।

12 चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तादेजों के साथ अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।

13 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।

14 आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर।